27 FEB 2012
Muni Maya Ram Marg,
T. V. Tower, Pitam Pura,
Delhi-110088

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

फा.सं. 08(01)/2012–क0सं0 एवं भाषा/4402-4406 दिनांक: 13/2/12

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी परिसर, दिल्ली.

विषयः अनुवाद हेतु भाषा विभाग में भेजे जाने वाले दस्तावेज़ों संबंधी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 04.08.1997 को आयोजित प्रधान सचिव/विशेष सचिव/सचिवों की बैठक में लिये गये निर्णय।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 21.8.2001 के पत्र सं0 4/5/2001–भाषा/1122–26 की ओर पुनः आकर्षित किया जाता है जिसमें फार्मों, प्रोफार्मा, वार्षिक प्रशासनिक आडिट रिपोर्ट (एन्युल एडमिनस्ट्रेटिव रिपोर्ट), इन्कवायरी रिपोर्ट, बैठकों का कार्यवृत्त (मिन्टस), समितियों की रिपोर्ट, विधानसभा प्रश्न व प्रश्नों के उत्तर, टेंडर नोटिस, प्रेस रिलीज, केबिनेट नोट, आश्वासन (आश्यूरेंस) तथा गैर सरकारी विधेयक, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रश्नों के उत्तर तथा नेमी किस्म के अन्य दस्तावेजों का अनुवाद संबंधित विभाग अपने स्तर पर हिन्दी में एवं अंग्रेजी में पकड़ रखने वाले अधिकारियों द्वारा कराये जाने का उल्लेख था। केवल अधिसूचना (नोटिफकेशन), आदेश (आर्डर), अधिनियम (एक्ट), सरकारी विधेयक (ऑफिसल बिल), अध्यादेश, नियमावली (रूल्ज), विनियम (रेगुलेशनज), पारस्पारिक करार, उपविधियां (बाईलाज), मैन्युल संहिता (कोड), संकल्प (रेजुलेशन) जैसे कानूनी स्वरूप के दस्तावेज तथा मंत्री मंडल निर्णय ही भाषा विभाग को अनुवादार्थ भिजवाने का उल्लेख था।

हालांकि उक्त निर्णय के अनुसरण में कई बार सामान्य स्वरूप के दस्तावेज का अनुवाद विभागीय सहयोग तथा अनावश्यक लिखा पढ़ी से बचने के लिए करवा दिया जाता है। कई बार कार्यभार की अधिकता के कारण उक्त निर्णय से अवगत कराते हुए लौटाना पड़ता है। फिर भी दिल्ली सरकार के अधिकतर विभाग इस तथ्य से अनभिज्ञ होने के कारण सामान्य स्वरूप के दस्तावेज अनुवाद हेतु भिजवाते रहते हैं जहां तक कुछ विभाग हिन्दी सामग्री का अंग्रेजी अनुवाद

123/ल

उपलब्ध कराने के लिए भी भिजवाते रहते हैं जो कि दिल्ली सरकार की भाषा नीति के पूर्णतया प्रतिकूल है। जबकि हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8 (1), (2) एवं (3) के अनुसार हिन्दी सामग्री का अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांग सकता है। इस प्रकार विभाग को अनुवाद संबंधी कार्य निपटाने में भारी कठिनाई का सामाना करना पड़ रहा है। इसलिये सामान्य स्वरूप के दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद करवाने वाले सभी विभागाध्यक्ष, राजत्रित अधिकारी, प्रभारी अधिकारी उपरोक्त निर्णय के विपरीत कोई भी अनुवाद कार्य भाषा विभाग में आने पर या उसके विलम्ब होने/अनुवाद कार्य न होने पर यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। चूँकि इस सरकार की भाषा नीति के अनुरूप साधारण स्वरूप के सभी दस्तावेज केवल हिन्दी में तैयार/जारी करवाने से सरकारी समय, लेखन सामग्री तथा धन की काफी बचत की जा सकती है और यदि विभाग ऐसे दस्तावेजों को दोनों भाषाओं में जारी करवाना उचित समझतें हों, तो वे हिन्दी में प्रवीण तथा अंग्रेजी एवं हिन्दी में पकड़ रखने वाले सम्बद्ध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अपेक्षित सहयोग से पूरा करवाने की कृपा करें।

भवदीया

(डॉ0 नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी
दूरभाष संख्या : 23392355

फा.स. 08(01)/2012--क0सं0 एवं भाषा/4407-4410 दिनांक: 13/2/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. उप–सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), दूसरा तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. सभी तकनीकी सहायक (हिन्दी) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

(डॉ0 नीमा जोशी)
हिन्दी अधिकारी